

जय  
अ  
ह  
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पंचदेवी v/s मरवाक

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

6/5

चाबका पत्र हुई। बकाला द्वारा का  
बचन/ P. O. सा० राज्य कार्य से व्यं  
द्वि से अनुरल तारीख पेशी हो गई। क  
बादेस की पालना में दिनांक 14/6/21  
से देस हो।

बकाला

14/6

चाबका पत्र हुई। बकाला द्वारा का  
बचन/ P. O. सा० राज्य कार्य से व्यं  
द्वि से अनुरल तारीख पेशी हो गई। क  
बादेस की पालना में दिनांक 21/6/21  
से देस हो।

बकाला

2.8.2021

पंचदेवी (पंचदेवी) वकील शायी  
उपरोक्त जवाब तक दिनांक  
21.8.2021 को पेश हो  
उठ  
जय जय वकीलारी  
वादीपद (दीला)

31/8

चाबका पत्र हुई। बकाला द्वारा का  
बचन/ P. O. सा० राज्य कार्य से व्यं  
द्वि से अनुरल तारीख पेशी हो गई। क  
बादेस की पालना में दिनांक 27/10/21  
से देस हो।

बकाला

14/12/21

पंचावली प्रशासन गाँवों के संगठन 2021  
कॉम्युनल नोपर से पंचावली प्रेशी हुई।  
पंचावली प्रेशी प्रो बाबत सरेवली हलका कानगावर  
ILR, संगम्य ग्राम पंचावली कानगावर, पंचावली प्रेशी  
सकवा की संयुक्त जस्य रिपोर्ट प्राप्त हुई।  
जो शासी पंचावली की गरी डिप्लोमा  
रूपकार जमानपी संवत् 2073-76 से  
वादीपद को प्रति ला नाम प्रता सं० 148 से  
COM.



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बाबूमान पुत्र हॉटेलाय दि० १७/१० जाति माली  
पर रिपोर्ट है एवं स्वामी संख्या ३३३ में बाबूमान  
पुत्र होला दि० ३५ जाति माली पर रिपोर्ट है  
वादीगण के पति का शरण दस्तावेजों में  
आधार आई, शरण आई एवं मूल्य प्रमाण पत्र में  
भी वादीगण के पति का नाम बाबूमान सेनी  
पर रिपोर्ट है वादीगण के पति का सही  
नाम बाबूमान पुत्र हॉटेलाय सेनी है  
वादीगण के पति का सही नाम बाबूमान पुत्र  
हॉटेलाय लिखा जागा उचित करवाया गया है

इसने प्राची प्रयोग पर एवं प्राचीन पत्र को  
संबंध में प्रायः दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पर ध्यान देकर  
I.C.R. तद्विचार करके संबंध में ग्राम पंचायत  
कार्यालय की संख्या जांच रिपोर्ट का शरण  
लिखा गया व शिपि में उपस्थित शरणों को  
जांचा जाकर पर बाबूमान पुत्र हॉटेलाय  
नाम के स्थान पर बाबूमान पुत्र हॉटेलाय  
संख्या लिखा जागा उचित प्रतीत होता है

इससे आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम  
पंचायत की समायोजी संख्या २०७३-७६ संख्या  
संख्या तथा ३३३ प्रमाण ३१६ में पर नाम  
बाबूमान पुत्र हॉटेलाय को स्वामि पर  
सही नाम बाबूमान पुत्र हॉटेलाय धरि उचित  
लिखा जाये। तद्विचार करके निष्पत्ति का  
आदेश रिपोर्ट में समायोजी एवं तद्विचार  
जारी है। प्रकरण क्रि.सं. ३०४/२०१७  
बाद तत्काल परिणाम प्रदान हो।  
निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीना)  
जज जिला कलकत्ता ५  
बंदीकुई (दौसा)  
प्रकाशन गाँवों के संयोजक जिला-३३३  
रिजि. ग्राम पंचायत... २०१७-१९